सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आईटी भवन, योजना भवन परिसर, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

F3(31)Comp/ACCTT/94/Part-II/ 03963/2021 जयपुर, दिनांक 22/10/2021

समस्त अधिकारी / कर्मचारी गण
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर

विषयः– RGHS कार्ड का पंजीयन कराने एवं इनडोर / आउटडोर चिकित्सा पुर्नभरण दावे के क्रम में।

संदर्भः– वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक प6(10)वित्त(नियम) / 2021 पार्ट दिनांक 30.09.2021, प6(10)वित्त(नियम) / 2021 पार्ट दिनांक 19.08.2021 एवं कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र क्रमांक 314 दिनांक 20.10.2021 के क्रम मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रो के अनुसार दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 तक इनडोर / आउटडोर रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर व्यय हुई पुर्नभरण राशि के चिकित्सा दावे दिनांक 31.12.2021 तक ही स्वीकृत किये जायेंगे एवं दिनांक 01.10.2021 से 31.10.2021 तक के पुर्नभरण राशि के चिकित्सा दावो का पुर्नभरण केवल RGHS Card धारक को ही दिनांक 31.12.2021 तक ही स्वीकृत किये जायेंगे। दिनांक 01.11.2021 से समस्त अधिकारी / कर्मचारी केवल RGHS कार्ड के माध्यम से ही RGHS में अधिकृत अनुमोदित चिकित्सालयों में ही कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे। दिनांक 31.10.2021 के पश्चात किसी भी प्रकार के इनडोर / आउटडोर चिकित्सा पुर्नभरण दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के परिपत्र क्रमांक 314 दिनांक 20.10.2021 के अनुसार ऐसे कार्मिक जो कि RGHS में कैशलेस उपचार की बजाय राजमेडिक्लेम योजना का लाभ लेना चाहते है, ऐसे कार्मिको को भी RGHS कार्ड का पंजीयन करवाया जाना आवश्यक है, RGHS कार्ड का पंजीयन कराने के उपरान्त कार्मिक बिना किसी मासिक कटौती राजमेडिक्लेम योजना का लाभ पूर्ववत ले सकता है । RGHS कार्ड का पंजीयन न होने की दशा में कोई भी अधिकारी / कर्मचारी गण राजमेडिक्लेम योजना का लाभ भी प्राप्त नही कर सकेंगे। अतएव समस्त अधिकारी / कर्मचारी गण अपने बकाया चिकित्सा दावे दिनांक 15.12.2021 तक भुगतान शाखा में प्रस्तुत कर देवे एवं जिन अधिकारी / कर्मचारी गण ने अभी तक RGHS कार्ड का पंजीयन नही कराया है, शीघ्र ही करवा लेवे एवं RGHS में कैशलेस उपचार अथवा राजमेडिक्लेम योजना में से जिस भी योजना का लाभ लेना चाहते है, उसका विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप में भुगतान शाखा में उपलब्ध करावे।

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर
एवं आहरण–वितरण अधिकारी

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)
आहरण वितरण अधिकारी
निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
राज., जयपुर
डीडीओ कोड-1888

प्रतिलिपि : — वेबसाईट DoIT.

D:\Gaurav\Letters